# न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 01/2018

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्ट |
|---|---|---|
| बिरमराम पुत्र तेजाराम जाति जाट<br>निवासी धवा तहसील मुण्डवा जिला नागौर। | | तहसीलदार, मुण्डवा जिला नागौर। |

उपस्थिति :–
1. श्री धर्माराम खुडखुडिया अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

**निर्णय** दिनांक:22.03.21

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 399/2017 सरकार बनाम बिरमाराम में निर्णय दिनांक 27.12.2017 के तहत मौजा धवा के खसरा नं. 8 गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 01.01.2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 02.01.2018 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार मुण्डवा के प्रकरण सं. 399/17 सरकार बनाम बिरमाराम के फर्द अहकाम दिनांक 06.11.17 से 27.12.17 की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, बयान की फोटोप्रति, निर्णय दिनांक 27.12.17 की फोटोप्रति, नक्शा नया व पुराना की फोटोप्रति, जमाबंदी खेवट खतोनी ग्राम धवा संवत 2018–21 व 2031–34 की फोटोप्रति, ग्राम धवा के खसरा पत्रक संवत 2015 की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) नागौर के प्रकरण सं. 12/18 बिरमाराम बनाम जिला कलक्टर नागौर के फर्द अहकाम दिनांक 22.2.18 से 31.7.18 की फोटोप्रति, सहायक कलक्टर नागौर मे प्रस्तुत दावे की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) नागौर के प्रकरण सं. 13/18 बिरमाराम बनाम जिला कलक्टर नागौर के फर्द अहकाम दिनांक 22.2.18 से 31.7.18 की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) नागौर मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर प्रकरण सं. 89/2018 बिरमाराम बनाम जिला कलक्टर वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 03.04.18 एवं फर्द अहकामात की फोटोप्रति, प्रार्थना पत्र मीमो की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील अधिवक्ता उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–आदेश जैर अपील अनुचित, विधि विरूद्व, बिना मौके पर नाप किये, गैर सायल द्वारा कोई अतिक्रमण किये बिना ही अतिक्रमी व तत्पश्चात पश्चातवर्ती अतिक्रमण के रूप मे दण्डादेश देने मे भारी त्रुटि की है।

{2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये नोटिस मे खसरा नं. 8 पर पूर्व मे कब्जा होना व किसी प्रकरण के जरिये कब्जा हटाना व भौतिक बेदखली किये जाने के तथ्य दर्ज किये बिना ही पश्चातवर्ती कब्जे का नोटिस देने मे त्रुटि की है। जिससे आदेश जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(III)– पटवारी की अतिक्रमण रिपोर्ट की तारीख मे तथा रकबा मे कांट छांट व फेरबदल किया हुआ है तथा पत्रावली मे न तो भौतिक बेदखली की कोई फर्द ही शामिल की गयी है और न ही किसी



अपर कलक्टर, नागौर

मौतबिरो के सामने भौतिक बेदखली करने की फर्द पत्रावली पर है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक प्रिन्टेड निर्णय मे केवल अपीलांट गैर सायल का नाम, पिता का नाम, निवास स्थान, खसरा व रकबा व किस्म बाबत प्रविष्टिया भर कर दण्डादेश पारित किया है। जो विधिनुसार स्थिर रखे जाने योग्य निर्णय नही है।

{2}(IV)– अपीलांट द्वारा जो जवाब दिनांक 13.11.17 को अन्य प्रकरण सं. 400, 401 इत्यादि के साथ इस प्रकरण मे भी दिनांक 13.11.17 को जवाब पेश किया। मगर तहसीलदार द्वारा उक्त जवाब को शामिल पत्रावली नही किया गया व पूर्व ईरादे से सिविल कारावास का मानस बनाकर सिविल कारावास के दण्डादेश करने मे त्रुटि की है।

{2}(V)– साबिका खसरा नं. 10 रकबा 25.01 बीघा अपीलांट के पूर्वज पूरखाराम की खातेदारी का खेत रहा था तथा पुरानी माठे मौके पर मौजूद है तथा गत बंदोबस्त अधिकारियो ने गलती करते हुए 25.01 बीघा की जगह केवल 22.03 बीघा के ही हक खातेदारी दर्ज किये है तथा करीब 3 बीघा भूमि पटटे की भूमि से पश्चिमी तरफ से कम कर दी है व खातेदारी की भूमि पर रास्ता होना गलत दर्ज किया है। जिसकी जानकारी होते ही अपीलांट ने राज्य सरकार के प्रतिनिधि जिला कलक्टर को धारा 80 सीपीसी का नोटिस देकर पूर्वानुसार खातेदारी दर्ज करने की मांग की है व नोटिस की अवधि समाप्त होने पर दावा करने की भी सूचना दी है। जिससे तहसीलदार पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए व आदेश बेदखली व सिविल कारावास पारित करने मे त्रुटि की है।

{2}(VI)– अपीलांट ने जवाब मे यह तर्क पेश किया कि साबिका खसरा नं. 10 रकबा 25.01 बीघा के नक्शा अनुसार मौके पर नाप करवाया जावे, यदि भूमाप करने पर रास्ता की कोई भूमि अपीलांट के कब्जा मे होना प्रकट होगा तो पुराने रास्ते के नक्शे के अनुसार जो रास्ता है वह भूमि अपीलांट छोडने को तैयार है। मगर पटवारी ने न तो मौके पर नाप किया न ही तहसीलदार ने मौके पर साबिका नक्शा अनुसार रास्ते का माप ही किया व मनमर्जी से अपीलांट को साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना व अपीलांट का जवाब शामिल मिसल किये बिना अनुचित रूप से दण्डादेश दिया है। जो निरस्तनीय है।

{2}(VII)– तहसीलदार द्वारा खसरा व रकबा विवादित से भौतिक बेदखली व मुकदमा नं. का उल्लेख नोटिस मे नही किया तथा अतिक्रमण रिपोर्ट की तारीफ मे भी फेरबदल किया गया है व अतिक्रमण रिपोर्ट के कुल रकबा 12 बीघा दर्ज किया गया है। जिससे अतिक्रमण रिपोर्ट मे फेरबदल किया जाना प्रमाणित है। भौतिक बेदखली की रिपोर्ट शामिल पत्रावली नही होने व गैर सायल का साक्ष्य सबूत का अवसर नही दिये जाने से अपील स्वीकार योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन मे आरआरडी 1980 पेज 48 से 51 नजीर पेश की।

{2}(VIII)– अपीलांट द्वारा यह भी कथन किया गया कि साबिका खसरा नं. 10 रकबा 25.01 बीघा अपीलांट की खातेदारी की भूमि थी। जिसे हाल भूप्रबन्ध के दौरान रकबा 22.03 बीघा कर दिया। किसी खातेदार की खातेदारी मे दर्ज भूमि को कम करने का अधिकार भू प्रबन्ध अधिकारियो को नही है तथा अपने कथन के समर्थन मे आरआरडी 1969 पेज 221 व आरआरडी 1980 पेज 48 नजीरें प्रस्तुत की गई।

{2}(IX)– वकील अपीलांट द्वारा आगे यह भी बताया गया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि के रकबे मे कमी करने को लेकर न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) नागौर मे नियमित राजस्व वाद भी प्रस्तुत किया हुआ है। जो वर्तमान मे लंबित है। दौराने वाद अपीलांट के प्रार्थना पत्र 13/2018 बिरमाराम बनाम जिला कलक्टर मे न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) नागौर द्वारा दिनांक 23.03.18 को उक्त खसरे मे राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखे जाने का आदेश पारित किया। जिस पर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी नागौर मे अपील प्रस्तुत की गई। जहां आदेश दिनांक 03.04.2018 के द्वारा मौजा धवा के साबिका खसरा नं. 10 मूल रकबा 25.01 बीघा की आगामी आदेश तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित हुआ है। जो वर्तमान मे भी प्रभावी है। इसलिये प्रकरण को पुनः जांच हेतु रिमान्ड किया जाना चाहिये।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा धवा में स्थित गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके धवा के खसरा नंबर 8 गै.मु. रास्ता भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख



अपर कलक्टर, नागौर

से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। इससे पूर्व मे प्रकरण सं. 65/2017 मे बेदखली आदेश पारित किये गये। जिस पर दिनांक 10.06.17 को भौतिक रूप से बेदखली किया जाना फर्द मौका दिनांक 10.06.17 जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है, से साबित है तथा इस बेदखली को पटवारी के बयान दिनांक 27.12.17 से साबित भी कराया गया है। इस प्रकार अतिक्रमण की पुनरावृति होना भी साबित है। अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नं. 10 का साबिका रकबा 25.01 बीघा से हाल भू प्रबन्ध के दौरान 22.03 बीघा किये जाने को लेकर अपीलांट का नियमित न्यायालय मे वाद विचाराधीन होना बताया गया है। इस संबंध मे राहत सक्षम न्यायालय द्वारा ही दी जा सकती है। यहां अपीलांट के खेत खसरा नं. 10 मे से रकबा कम कर आराजी खसरा नं. 8 मे जोड दिया गया हो, ऐसा भी प्रथम दृष्ट्या प्रस्तुत अभिलेख से प्रकट नही होता है तथा न ही इस संबंध मे साक्ष्य दस्तावेज मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया गया। प्रकरण मे आराजी भूमि खसरा नं. 8 रास्ता को लेकर कोई स्थगन आदेश नही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

(5)– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि आदेश जैर अपील की पालना करने से पूर्व नियमित न्यायालय मे राजस्व वाद एवं आराजी भूमि विशेष हेतु स्थगन आदेश कोई प्रभावी हो तो उसे अभिलेख पर लेकर ताजा स्थिति को ध्यान मे रखते हुए ही कार्यवाही की जावे।

(6)– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार )
अपर कलक्टर, नागौर
नागौर